संख्या-1/2017/267/एक-12-2017-रा0-12

प्रेषक,

जय प्रकाश तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-12 लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त,2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-313/15-सी-42(3)/2016-17, दिनांक 25-04-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2506-भूमि सुधार-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता-27-सब्सिडी योजना के अन्तर्गत रूपया 1-00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन निम्नानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की माननीय राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के लिये दी जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी।
(2) स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में व्यय कर ली जायेगी।
(3) उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2017/267(1)/एक-12-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ)
8- राजस्व अनुभाग-6/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in